रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220196
CG-DL-E-26062020-220196

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1877] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ़ 5, 1942
No. 1877] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**(वाणिज्य विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2020

**का.आ. 2121(अ).—**यत:, केन्द्रीय सरकार को तम्बाकू बोर्ड द्वारा यह सूचना दी गयी है कि आंध्र प्रदेश राज्य में बड़ी संख्या में पंजीकृत उत्पादकों द्वारा फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की अधिकृत मात्रा से अधिक खेतीकी गई है तथा अपंजीकृत उत्पादक भी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की अनधिकृत खेती फिर करने लगे हैं, जिससे मांग तथा आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन आ गया है;

और, यत: केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करने की अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत करना आवश्यक एवं समीचीन है और वह आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों पर पंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बेशी फसल तथा अपंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की फसल का निपटान करना उचितएवं आवश्यक है;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 20 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तम्बाकू बोर्ड को शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए यह प्राधिकार देती है कि वह आंध्र प्रदेश राज्य में अपने नीलामी मंचो पर आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत किसानों द्वारा उगाई गई अतिरिक्त फ्लू

क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उगाई गई फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों तथा डीलरों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करती है, अर्थात:-

(क) वर्ष 2019-20 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक पंजीकृत उपजकर्ता को बेशी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन पर दो रुपए, प्रति किलोग्राम तथा बिक्री अर्जन के पांच प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा प्रभार सहित) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा, यह प्राधिकृत कोटा के दस प्रतिशत की सीमा तक सीमित होगा;

(ख) वर्ष 2019-20 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के लिए प्राधिकृत कोटे के दस प्रतिशत की सीमा से बेशी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर और प्रत्येक अपंजीकृत उत्पादक द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर तम्बाकू निधि में दो रुपए प्रति किलोग्राम और बिक्री आय के दस प्रतिशत(उत्पादकों द्वारा देय अर्जन के एक प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा;

(ग) वर्ष 2019 के लिए तम्बाकू की फसल के संबंध में अधिकारों के रिकार्ड की एक प्रति प्रस्तुत की जानी है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी (एग्री-VI)/भाग]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 2020

**S.O. 2121(E).—** Whereas, the Central Government has been informed by the Tobacco Board that a large number of registered growers have cultivated flue cured virginia tobacco in excess of the authorised quantity and unregistered growers have also resorted to unauthorised flue cured virginia tobacco cultivation in the State of Andhra Pradesh, causing a mismatch between the demand and supply position;

And, whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to authorise Tobacco Board, to allow the purchase of flue cured virginia tobacco and consider it appropriate to dispose of the excess flue cured virginia tobacco crop of registered growers and the flue cured virginia tobacco crop of unregistered growers at the designated auction platforms of the Tobacco Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 20A, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to admit from the date of publication of this notification in the Official Gazette and upto the 31st December, 2020, the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at its auction platforms in the State of Andhra Pradesh, the excess flue cured virginia tobacco produced by registered growers and flue cured virginia tobacco produced by unregistered growers in the State of Andhra Pradesh, subject to the following conditions, namely:-

(a) an amount of rupees two per kilogram and five per cent of the proceeds of the sale (including a normal service charge of one percent, of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured Virginia tobacco produced by him or her up to the extent of ten percent, of the quota authorized for 2019-20 crop season;

(b) an amount of rupees two per kilogram and ten percent, of the proceeds of the sale (including a normal service charge of one percent, of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the flue cured Virginia tobacco produced by him or her over and above the limit of ten percent, of the quota authorized and also by every unregistered grower for the flue cured Virginia tobacco produced by him or her for 2019-20 crop season;

(c ) a copy of the Record of Rights in respect of tobacco crop for the year 2020 is to be furnished.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/pt.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जून, **2020**

**का.आ. 2122 (अ).**—यत:, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) द्वारा लगाए गए कुछेक प्रतिबंधों में ढ़ील प्रदान की जाए;

और, यत: केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14(ए) की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/भाग]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 2020

**S.O. 2122(E).—**Whereas, the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

And, whereas, the Central Government considers it necessary to dispose of the excess flue cured virginia tobacco of registered growers and flue cured virginia tobacco of unregistered growers at the designated auction platforms of the Tobacco Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the State of Andhra Pradesh for the period commencing from the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending on 31st December, 2020, and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/pt.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.26 22:08:57 +05'30'